कार्यालय कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / स्वास्थ्य / 2020 / 3720 श्योपुर दिनांक 20.04.2020

आदेश

तम्बाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरो में से एक है। थूकना (Spitting) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र–तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गम्भीर बीमारियों यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाइनफ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रवल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "कोरोना वायरस (COVID-19)" को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु कई तरह के दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो– उस व्यक्ति को छः मास अवधी तक का कारावास एवं/ अथवा रू0 200/– (दो सौ) तक के जूर्माना से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लधंन करने पर दंड स्वरूप 200/–रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

विदित हो कि तम्बाकू सेवन के उपरान्त उसे यत्र–तत्र थूकने को निषिद्ध करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही यह कदम राज्य सरकार के भी कोरोना (COVID-19) जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वास्थ भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन–स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

उक्त संदर्भ में जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड–19 से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक ऐक्ट–1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम–2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट 1949 की धारा 71(1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिगं माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वेस्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा में किसी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीडी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते है तो उल्लंघन कर्ताओं पर नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला श्योपुर (म.प्र.)

CS Scanned with CamScanner

क्रमशः ...2/

पृ0क्रमांक/स्वास्थ्य/2020/3721 श्योपुर दिनांक 20.04.2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव,म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. पुलिस महानिदेशक म.प्र.भोपाल।
4. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग भोपाल।
6. कार्यकारी निदेशक मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, इन्दौर।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर म.प्र.।
8. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सामान्य/कूनो जिला श्योपुर।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर।.
10. अपर कलेक्टर जिला श्योपुर।

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला श्योपुर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner